न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सी.सी.एम.एस. सं0 2020/00276

सिविल प्रकरण संख्या:– 7/2020

तारीख रजू 29.06.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

....

आवेदक

बनाम

1 राजकुमार शर्मा पुत्र श्री हरप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खैर रोड, रामनगर कॉलोनी, कौल, अलीगढ जिला अलीगढ (उत्तर प्रदेश)–202001 (विक्रेता एवं मालिक)–फर्म–राजकुमार शर्मा, मिठाई पुडी सब्जी भण्डार, चौथमाता ट्रस्ट धर्मशाला के सामने, मेला परिसर, चौथ का बरवाडा, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः–

दिनांक **08.01.2026**

उक्त न्यायनिर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 12.01.2020 को लगभग 12.30 पी.एम. पर चौथ का बरवाडा मेले के दौरान खाद्य सामग्री जांच हेतु दौराने गस्त मेला परिसर में स्थित दुकान फर्म–राजकुमार शर्मा मिठाई पुडी सब्जी भण्डार, चौथमाता ट्रस्ट धर्मशाला के सामने, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर पर श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय आर.सी. एच.ओ., सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां निरीक्षण के दौरान मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार शर्मा पुत्र श्री हरप्रसाद शर्मा उम्र लगभग 44 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खेर रोड, रामनगर कॉलोनी, कौल, अलीगढ जिला अलीगढ (उत्तर प्रदेश) बताया एवं बताया कि मैं हर साल मेले में दुकान लगाता हूं। आवेदक ने राजकुमार शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। राजकुमार शर्मा ने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। राजकुमार शर्मा अपनी दुकान पर मिठाई, पुडी, सब्जी व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने राजकुमार शर्मा से दुकान का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसे दुकान का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया। दुकान मालिक राजकुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा जारी चौथ माता मेले की रसीद एवं स्वयं का आधार कार्ड दिखाया। आवेदक खाद्य [illegible] समय दुकान के विक्रय परिसर में काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य [illegible] मा[illegible]र्फी जिसे विक्रेता ने मावा व चीनी से निर्मित करना बताया लगभग 5 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हुयी थी। एल्यूमिनियम की ट्रे मे रखी हुयी मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का निरीक्षण करने पर उसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व दुकान मालिक राजकुमार शर्मा से एल्युमिनियम की ट्रे में रखी हुयी मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के विक्रय परिसर में एक एल्युमिनियम की ट्रे मे रखी हुयी मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) में से 2 किलो मावा बर्फी शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत एक साफ,सूखे व खाली बर्तन में खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 400/– रूपये अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) को अच्छी तरह से मिक्स कर उसको चार साफ, सूखी व खाली कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक शीशी में 40 बूंद फारमेलीन की डालकर चारो शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर, चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग–अलग चिपकाकर शीशीयों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर शीशीयों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H-1756** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक शीशी को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांध कर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारो शीशीयों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशीयों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता व दुकान मालिक राजकुमार शर्मा ने बताया कि यह मावा बर्फी हम स्वयं तैयार कर मेले में आमजन को बिक्री करते हैं। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री अभिषेक सोलोमन एन.टी.पी.सी. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बाकी बची नमूने की दो सील बन्द शीशी (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 14.01.2020 को स्वयं के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2020/54 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/69/एक्ट/2020/125 दिनांक 22.01.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) अवमानक** (**Sub Standard Food of FSSA 2006**) प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान पश्चात उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त कागजात अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को पेश किये जिन्होंने पत्र कमांक एफएसएसए/2020/596 दिनांक 05.05.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदक फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub Standard, मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित)** का निर्माण व विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। तथा खाद्य कारोबारकर्ता ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्यकारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जबाब पेश किये बिना सीधे ही प्रकरण में बहस सुनी जाकर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभि0 अधि0 ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub Standard, मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित)** का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्यकारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी की रोजी–रोटी विभिन्न मेलों में दुकान लगाकर ही चलती है। उक्त मावा बर्फी का निर्माण प्रार्थी द्वारा ही किया गया था जिसमें दूध के मावे व चीनी का प्रयोग किया गया था। प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। अन्त में प्रार्थी ने प्रकरण ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/69/ एक्ट/2020/125 दिनांक [illegible]2020 के अनुसार खाद्य नमूना मावा बर्फी सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार मावा बर्फी की जांच में B R Reading of extracted fat at 40^0 C का परिणाम [illegible] जाच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अनुसार 44.2 होने तथा Reichert value of extracted fat का परिणाम 26.0 से कम नहीं होना चाहिए था किन्तु जांच रिपोर्ट अनुसार 11.33 पाये जाने के कारण नमूना सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खाद्यकारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.01.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested